मुकुल गोयल
आई0पी0एस0

डीजी परिपत्र सं0-33/2021
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
पुलिस मुख्यालय, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ-226010
दिनांक: सितम्बर 2, 2021

विषय–साइबर क्राइम की अन्वेषण में बैंक खातों को फ्रीज करानें हेतु सामान्य निर्देश।

प्रिय महोदय,

वर्तमान समय में साइबर अपराध में तेजी से वृद्धि हुई है। साइबर ठगी के शिकार पीड़ित व्यक्ति के खातें से गए रूपये अपराधियों द्वारा कई बैंकों/वैलेटों व कारपोरेट के मर्चेन्ट खातों में ट्रांसफर कर उपयोग में लिए जाते है। जब कोई पीड़ित पुलिस के पास साइबर फ्राड की ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की सूचना लेकर आता है तो सामान्यतः साइबर सेल के पुलिस कर्मी अविलम्ब पीड़ित के खातों की Transaction Detail प्राप्त कर वित्तीय धोखाधड़ी से सम्बन्धित Beneficiary Account को फ्रीज करनें की रिपोर्ट बैंक को भेज देते है। तत्पश्चात सम्बन्धित बैंक द्वारा उस .खाते को फ्रीज कर दिया जाता है।

2. मुख्यालय के संज्ञान में आया है कि इसी प्रकार के साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के प्रकरण में जालौन साइबर पुलिस टीम द्वारा vivo कम्पनी के बैंक खाते को फ्रीज करा दिया गया जिससे vivo कम्पनी का व्यवसायिक लेनदेन, कर्मचारियों का वेतन आदि प्रभावित हो गया, जिससे असहज स्थिति उत्पन्न हुई। इस प्रकार की असहज स्थिति भविष्य में उत्पन्न न हो, को दृष्टिगत रखते हुए साइबर वित्तीय धोखाधड़ी से सम्बन्धित प्रकरणों में बैंक खातों को फ्रीज कराए जानें से पूर्व प्रकरण व खातों की प्रारम्भिक जांच कर लें। किसी कारपोरेट के सम्पूर्ण खाते को अनावश्यक रूप से फ्रीज न कराएं जिससे उसकी व्यवसायिक गतिविधियां बाधित न हो। प्रारम्भिक जांच के दौरान इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि यदि कोई वास्तविक बैंक खाता का प्रयोग किसी त्रुटि या अज्ञानतावश साइबर वित्तीय धोखाधड़ी में हो गया हो तो यदि आवश्यक न हो तो धोखाधड़ी की गई धनराशि को ही फ्रीज कराया जाए।

3. मुझे विश्वास है कि उपरोक्त निर्देशानुसार कार्यवाही करनें पर साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधों के अन्वेषण में अपेक्षित सफलता मिलेगी।

भवदीय

(मुकुल गोयल)

समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, जोन्स, उ0प्र0 (नाम से)
समस्त पुलिस आयुक्त, उ0प्र0 (नाम से)

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक उ0प्र0।
2. समस्त जनपदीय वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।